राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 26/2020 अपील

1. श्रीमती रामी पत्नी चुन्नीलाल भील निवासी ग्राम पांसल तहसील व जिला भीलवाडा

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 19.02.2013 तहसीलदार भीलवाडा

उपस्थित –

1. श्री पवन सुनारीवाल अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश चन्द्र तिवाड़ी राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.10.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 तहसीलदार भीलवाडा के आदेश दिनांक 19.02.2013 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल की कृषि आराजियात नम्बर 2401/1 रकबा 4.09 हैक्ट. छोगा पुत्र देवीलाल के नाम खातेदारी में दर्ज है। अपीलार्थी रामी पत्नी चुन्नीलाल के छोगाजी मामा ससुर लगते है तथा श्रीमती रामी ने ही छोगा की देखभाल, सेवा सुश्रुषा की थी जिससे प्रसन्न होकर छोगा ने उक्त आराजी की वसीयत श्रीमती रामी पत्नी चुन्नीलाल के पक्ष में करते हुये दिनांक 18.06.1988 को एक वसीयत निष्पादित की थी जिसका 5/–रूपये का स्टाम्प भी दिनांक 18.06.1988 को छोगा ने ही खरीदा था और उनके कथनानुसार श्री राधा किशन ने उक्त वसीयत लिखी थी जिस पर गवाह देवीलाल एवं हजारी भील ने हस्ताक्षर किये थे। दिनांक 15.08.1988 को छोगा पुत्र देवी भील की मृत्यु हो जाने के बाद श्रीमती रामी देवी उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करने लगी तथा दिनांक 12.02.2013 को ग्राम पंचायत पांसल की ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 3 के तहत अपीलार्थी के पक्ष मे छोगा द्वारा की गयी वसीयत के बारे में चर्चा की गयी तथा वसीयत को सही मानते हुये

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा प्रस्ताव संख्या 3 पर सरपंच ग्राम पंचायत पासंल एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत पांसल ने अपनी मोहर सहित अपने हस्ताक्षर किये। अपीलार्थी द्वारा वसीयत के आधार पर अपने नाम नामान्तरकरण कराने हेतु आवेदन करने पर तहसीलदार भीलवाडा द्वारा दिनांक 12.02.2013 को नामान्तरकरण संख्या 5015 वसीयत के आधार पर राजस्व कैम्प पांसल में अपीलार्थीया के नाम पर उक्त भूमि दर्ज करने का नामान्तरकरण फैसल किया गया। उसके पश्चात् प्रत्यर्थी व पटवारी गिरदावर द्वारा बिना अपीलार्थी को सुने स्वः प्रेरणा से तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश 5015 दिनांक 12.02.2013 को दिनांक 19.02.2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया जो विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त होने योग्य हैं। दिनांक 19.02.2013 को पटवार हल्का द्वारा मामले में रिव्यू पेश किया, जिसकी ना तो सूचना अपीलार्थीया को दी गयी एवं न ही उसे सुना गया और तहसीलदार भीलवाडा ने अपीलार्थीया के पक्ष में खोले गये नामान्तरकरण को खारिज कर दिया। पटवार हल्का द्वारा खातेदार की मृत्यु दिनांक 15.05.1988 का होना बताकर वसीयत संदिग्ध होना बताया गया जबकि मृत्यु दिनांक 15.08.1988 को हुयी और वसीयत 18.06.1988 को की गयी। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति अपील के साथ पेश हैं। अपीलार्थीया ग्रामीण परिवेश की महिला हैं एवं नामान्तरकरण की नकल दिनांक 26.08.2019 को प्राप्त की तब अपीलार्थी को उक्त आदेश की प्रथम बार जानकारी हुयी। आदेश दिनांक से अपील पेश करने में हुयी देरी के समय को कण्डोन किये जाने बाबत् धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया हैं। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर पुनरावलोकन निर्णय दिनांक 19.02.2013 को अपास्त कर नामान्तरकरण संख्या 5015 दिनांक 12.02.2013 को बहाल कर छोगा भील की कृषि आराजियात को अपीलार्थी के नाम पर दर्ज करवाया जाने का आदेश किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 04.11.2019 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 06.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के पुनरावलोकन निर्णय दिनांक 19.02.2013 को अपास्त कर नामान्तरकरण संख्या 5015 दिनांक 12.02.2013 को बहाल कर छोगा भील की कृषि आराजियात को अपीलार्थी के नाम पर दर्ज करवाया जाने का आदेश किया जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के पुनरावलोकन निर्णय दिनांक 19.02.2013 में कोई विधिक त्रुटि नही हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत छोगालाल के मृत्यु प्रमाण पत्र पर कार्यपालक दण्डनायक तहसीलदार की तस्दीक बिना ही उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होना स्पष्ट हैं, जबकि मृत्यु वर्ष से कई वर्ष पश्चात् उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक छोगालाल के माता का नाम राधा अंकित हैं। अपीलार्थी ने अपनी अपील मेमों के साथ छोगा भील का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है, जिसको अपीलार्थी द्वारा सही तौर घोषित बताया जा रहा है। इस मृत्यु प्रमाण पत्र को कार्यपालक दण्डनायक द्वारा तस्दीक की जाना स्पष्ट है। इस मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक छोगा भील की माता का नाम तुलसी बाई अंकित हैं। मृतक छोगा भील की माता का नाम तुलसी बाई होने बाबत् अपीलार्थी ने शपथ पत्र पेश किये हैं। कार्यालय ग्राम पंचायत पासंल के पत्रांक/108 दिनांक 20.10.2021 अनुसार भी मृतक छोगा भील की माता का नाम तुलसी बाई होना अंकित किया हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट आया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.02.2013 को नामान्तरकरण संख्या 5015 वसीयत के आधार पर अपीलार्थीया के नाम नामान्तरकरण फैसल कर दिया गया। इसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारों को सुने एवं बिना सम्पूर्ण दस्तावेजात की गहनता से जांच किये पूर्व फैसल नामान्तरकरण दिनांक 12.02.2013 को खारिज कर दिया गया, जबकि नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के मध्येनजर पूर्व पारित निर्णय को रिव्यू करते समय पक्षकारों को सुनना

अति. जिला कलक्टर

आवश्यक होता हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज परीक्षण अनुसार मृतक छोगा भील के दो मृत्यु प्रमाण पत्र एक ही कार्मिक जितेन्द्र कुमार गुरनानी रजिस्ट्रार, ग्राम पंचायत पांसल, पंचायत समिति सुवाणा द्वारा जारी किया गया। एक ही व्यक्ति के दो मृत्यु प्रमाण पत्र, एक ही कार्मिक द्वारा किस आधार पर जारी किये गये? इसकी जांच तहसीलदार भीलवाडा से करायी जाना उचित हैं। तहसीलदार भीलवाडा बाद जांच सही मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर एवं वसीयत कब की हैं एवं सही मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार मृतक दिनांक कब की है? इसकी भी जांच कर तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवायी कर एवं सभी तथ्यों व दस्तावेजात की जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार भीलवाडा के निर्णय दिनांक 19.02.2013 को अपास्त कर तहसीलदार भीलवाडा को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में प्रस्तुत दो मृत्यु प्रमाण पत्र एक ही कार्मिक जितेन्द्र कुमार गुरनानी रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत पांसल, पंचायत समिति सुवाणा द्वारा किस आधार पर जारी किये गये ? इसकी जांच की जाकर सही मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर एवं वसीयत कब की हैं एवं सही मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार मृतक दिनांक कब की है? इसकी भी जांच कर तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवायी कर एवं सभी तथ्यों व दस्तावेजात की जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। तहसीलदार भीलवाडा गलत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले दोषी कार्मिक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही के प्रस्ताव इस न्यायालय को प्रेषित करें। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा